रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 88] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 6, 1982/फाल्गुन 15, 1903
No. 88] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 6, 1982/PHALGUNA 15, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1982

का. आ. 123(अ) :—केंद्रीय सरकार, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 (1979 का 5) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त सचिव, खाद्य तेल प्रभाग, नागरिक पूर्ति मंत्रालय नई दिल्ली को नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और उस प्रयोजन के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 21(अ), तारीख 12 जनवरी, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 6 पर विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“6. संयुक्त सचिव, खाद्य तेल प्रभाग, सिविल पूर्ति मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सिविल पूर्ति के भारसाधक मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य ।”

[फा. सं. 12-4/79-सी ए]

एस. पी. सिंह, उप-सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 1982

S.O. 128(E).—In exercise of the power conferred by clause (*g*) of Sub-section (4) of Section 4 of the Coconut Development Board Act, 1979 (5 of 1979) the Central Government hereby appoints Joint Secretary, Edible Oils Division Ministry of Civil Supplies, New Delhi to be the member of Coconut Development Board, Cochin, and for that purpose amend the Government of India Notification, in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation), No S.O. 21E, dated the 12th January, 1981, as follows, namely :—

In the said notification, for the existing entry at S No. 6, the following entry shall be substituted, namely :—

“6. Joint Secretary, Edible Oils Division, Ministry of Civil Supplies New Delhi.	To represent the member Ministry dealing with Civil Supplies.”

[File No 12-4/79-C.A I]

S. P. SINGH Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982